न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 42 / 2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गणपतसिंह पुत्र किशोरसिंह, जाति राजपूत,निवासी गुडारामा, तहसील आहोर, जिला जालोर(राज.)		1.वलमकंवर पुत्री किशोरसिंह जाति राजपूत,निवासी गुडारामा, तहसील आहोर, जिला जालोर। 2.भंवरसिंह पुत्र किशोरसिंह,जाति राजपूत,निवासी गुडारामा, तहसील आहोर, जिला जालोर हाल–12 वी ए,पाल रोड,प्लॉट नं.45,बच्छराजजी का बाग,सरदारपुरा, जोधपुर। 3.ग्राम पंचायत निग्बला, तहसील आहोर, जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार आहोर,दिनांक 11.9.2018(ना.क.प्रकरण सं.21 / 17)

उपस्थिति :–
1.श्री सिकन्दर अली सैय्यद, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1, 2की ओर से।
3.रेस्पोडेन्ट सं.3 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 30.1.2020,

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा गुडारामा के वर्तमान खसरा नम्बर 131 रकबा 4.10 हेक्टर व खसरा नम्बर 515 रकबा3.93 हेक्टर की भूमि किशोरसिंह पुत्र आईदानसिंह राजपूत,निवासी गुडारामा के खातेदारी व मालिकाना अधिकार की आई हुई थी, किशोरसिंह की मृत्यु दिनांक 10.11.2001 को होने पर उक्त भूमि किशोरसिंह की पत्नि उगमकंवर तथ दोनो पुत्र गणपतसिंह व भंवरसिंह के खातेदारी में दर्ज की गई थी,क्योंकि उनकी पुत्री वलमकंवर की शादी किशोरसिंह की मृत्यु से 20 वर्ष पूर्व हो चुकी थी तथा वलमकंवर की शादी के समय जेवरात के रूप में हिस्सा दे दिया था,वलमकंवर की लडकी पुष्पाकंवर की शादी के समय भी अपीलांट ने मामेरा करते हुए रूपये जेवर व अन्य सामान आदि वलमकंवर को दिये थे, किशोरसिंह की मृत्यु के समय

वलमकंवर का कोई हक इस खातेदारी भूमि में नही बनता था,फिर भी अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना किशोरसिंह की उक्त भूमि में भंवरसिंह , गणपतसिंह व वलकंवर का समान रूप से उतराधिकारी म्युटेशन भरने के आदेश देने में कानूनी व वाक्याती भूल की है, पिता की अचल सम्पति में लडकियों का अधिकार सन् 2005 के बाद उनके पिता की मृत्यु होने पर उत्पन्न हुआ है जिससे दिनांक 10.11.2001 को किशोरसिंह की मृत्यु पर वलमकंवर को खसरा नम्बर 131 व 515 की भूमि में कोई उतराधिकारी खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही हुए है, अपीलांट व भंवरसिंह तथा उगमकंवर (किशोरसिंह की पत्नि) के नाम म्युटेशन सं. 238 भरा गया था,उसके बाद उगमकंवर ने तर्कनामा गणपतसिंह के पक्ष में कर दिया था, लेकिन इस तथ्यों पर अदालत मातहत ने गौर नही किया,रेस्पोडेन्ट वलमकंवर ने मौजा गुडारामा के म्युटेशन सं.238 के विरूद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी आहोर के समक्ष पेश की थी जिसका निर्णय दिनांक 11.7.16 को हुआ तथ उसके विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त जोधपुर में द्वितिय अपील पेश की गई,जिसका निर्णय दिनांक 30.3.17को हुआ, इन दोनो निर्णयों में सभी पक्षकारानों को सुनवाई का अवसर देते हुए तहसीलदार आहोर को पत्रावली भेजी गई थी लेकिन अपीलांट वकील को पेशी दिनांक 11.9.18 पर आवाज नहीं दी गई तथा बिना सुनवाई का अवसर दिए निर्णय दिनांक 11.9.18 पारित किया है, किशोरसिंही की मृत्यु के समय उनकी पत्नि वलमकंवर जीवित थी जिससे उसे भी उसका हक मिला था जो उसने गणपतसिंही के हक में तर्क किया था,वलमकंवर के बयान दिनांक 15.1.18 को लिये तब अपीलांट को जिरह करने का अवसर नहीं दिया है।अदालत मातहत ने दिनांक 11.9.18को अपीलांट या उसके वकील को आवाज नहीं दिलवाई तथा वलमकंवर अकेले को सुनकर निर्णय पारित किया गया है जिससे अपीलांट को निर्णय का ज्ञान नहीं था, निर्णय का ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 14.12.18को आहोर तहसील में अपीलांट के जाने पर हुआ, नकले मांगी जो दिनांक 18.12.18को मिली तब यह अपील अन्दर म्याद पेश की है फिर भी किसी तरह की देरी मानी जावे तो देरी कण्डोन कर अपील अन्दर म्याद शुमार करावे , अपीलांट ने अपील प्रार्थनापत्र के साथ धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ तहसीलदार आदि नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 भारतीय परिसीमा के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट्स ने कोई जवाब पेश नहीं किया है, अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई, अपीलांट के अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि मौजा गुडारामा के खसरा नम्बर 131रकबा 4.10 हेक्टर व 515 रकबा 3.93 हेक्टर की भूमि किशोरसिंह की खातेदारी में आई हुई थी, किशोरसिंह की मृत्यु के बाद उक्त भूमि किशोरसिंह की पत्नि उगमकंवर व दोनो पुत्र—गणपतसिंह(अपीलांट) व भंवरसिंह(रेस्पोडेन्ट सं.2) के पक्ष में दर्ज की गई थी, क्योंकि किशोरसिंह की पुत्री वलमकंवर (रेस्पोडेन्ट सं.1) की शादी, किशोरसिंह की मृत्यु के 20 वर्ष हो चुकी थी,पिता की सम्पति में लडकियों का अधिकार सन् 2005 के बाद उत्पन्न हुआ जिसके समर्थन में अपीलांट वकील ने 2015 डीएनजे(एस सी)1088—1100 की नजीर पेश की। दिनांक 10.11.2001 को होने से किशोरसिंह की मृत्यु होने से वलमकंवर को कोई उतराधिकार उत्पन्न नहीं हुए। किशोरसिंह के फौत होने पर ना.क.सं.238 भरा गया जिसमें अपीलांट गणपतसिंह ,भंवरसिंह व उगमकंवर के नाम भरा गया, उगमकंवर ने तर्कनामा गणपतसिंह के पक्ष में कर दिया,जिस पर अदालत मातहत ने गौर नही किया गया, रेस्पोडेन्टसं.1— वलमकंवर ने म्युटेशन सं.238 के विरूद्ध अपील सं. 10/15,गणपतसिंह बनाम वलमकंवर, वगैराह, उपखण्ड अधिकारी आहोर के समक्ष पेश करने पर जिसका निर्णय दिनांक1.7.16 को हुआ जिसमें प्रकरण तहसीलदार आहोर को बाद सुनवाई जायज उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने का आदेश हुआ,जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील, संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर को अपील सं. 121/16, गणपतसिंह बनाम वलमकंवर,वगैराह पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 30.3.17 को हुआ जिसमें अपीलांट की अपील खारिज की गई तथा उपखण्ड अधिकारी आहोर का निर्णय दिनांक 1.7.16 यथावत् रखा गया, लेकिन तहसीलदार आहोर ने दिनांक 11.9.18को आवाजे नहीं लगाई व अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं..1,2 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार आहोर को निर्णय दिनांक 11.9.18 निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1,2के वकील ने बहस में बताया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्र व पुत्रियों को समान अधिकार है,अतः तहसीलदार आहोर ने निर्णय सही पारित किया गया है,तहसीलदार आहोर द्वारा वारिसान् की सूची पटवारी हल्का गुडारामा से मंगवाई गई थी जिसमें दिनांक 3.9.2018 को मृतक किशोरसिंह के जीवित व जायज वारिसान् दोनो पुत्र—भंवरसिंह, गणपतसिंह तथा पुत्री—वलमकंवर बताया है, धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् पुत्री को भी प्रथम श्रेणी की वारिस ,मृतक के पुत्रों के साथ समान रूप से माना गया है तथा रेस्पोडेन्ट भंवरसिंह ने अपना एक शपथपत्र तहसीलदार आहोर को पेश कर मृतक किशोरसिंह की पुत्री—वलमकंवर का राजस्व रैकार्ड में नाम दर्ज किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय में तहसीलदार आहोर ने मौजा गुडारामा के वर्तमान खसरा नम्बर 131रकबा 4.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 515रककबा 3.93 हेक्टर की भूमि के खातेदार किशोरसिंह पुत्र आईदानसिंह राजपूत,निवासी गुडारामा की मृत्यु पर उनके विधिक वारिसान् भंवरसिंह, गणपतसिंह व वलमकंवर के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये है । उक्त निर्णय, अपीलांट को भी सुनवाई का अवसर देकर पारित किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत हिन्दू पुरूष की मृत्यु पर उसकी विधवा,पुत्रियां,पुत्र सभी का समान हक सम्पति में उत्पन्न होता है।हस्तगत प्रकरण में किशोरसिंह पुत्र आईदानसिंह, जाति राजपूत,निवासी गुडारामा की मृत्यु होने पर विवादित आराजीयात् में दोनो पुत्र—गणपतसिंह (अपीलांट),भंवरसिंह(रेस्पोडेन्ट सं.2) तथा पुत्री —वलमकंवर (रेस्पोडेन्ट सं.1) व पत्नि—उगमकंवर का अधिकार जरिये उत्तराधिकार उत्पन्न हुआ ,उगमकंवर ने अपना हिस्सा दिनांक 17.11.2011 को अपीलांट—गणपतसिंह के पक्ष में हकतर्कनामा पंजीबद्ध करवाया है। अगर किशोरसिंह की मृत्यु से 20 वर्ष पूर्व वलमकंवर की शादी हो चुकी थी तो भी उतराधिकार के मामलें में पुत्रियां भी हिस्सा प्राप्त करने की हकदार है। उत्तराधिकार के नामान्तरकरण में कब्जे का प्रश्न गौण होता है,सिर्फ यह देखा जाता हैं कि मृतक काश्तकार के उत्तराधिकारी कौन कौन है,सभी का कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी विधिवत् सभी उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किये जाने का प्रावधान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में जो संशोधन वर्ष 2005 में किया गया है, उसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 में वर्णित प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार से वंचित नही किया गया है। अतःतहसीलदार आहोर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.9.2018 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

आदेश

अपीलांट द्वारा तहसीलदार आहोर के आदेश दिनाक 11.9.2018 (प्र.सं.11/2017) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 30.1.2020 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर